भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान
रहमानखेड़ा, डाकघर काकोरी, लखनऊ-226 101 (भारत)
ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture
Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow - 226 101 (India)
Website: www.cish.res.in E-mail : cish@icar.gov.in, director.cish@icar.gov.in Phone : 0522-2841022, 24 Fax : 0522-2841025

फा0सं0 Auction/Mango&Litchi/2024-25 दिनांक: 14.05.2024

<u>सार्वजनिक नीलामी सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के निम्न परिसर पर आम तथा लीची के फसलों की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी, जिसका विवरण निम्नवत है: -

क्र.सं.	नीलामी फसल का विवरण एवं स्थान	ई.एम.डी. राशि	नीलामी दिनांक एवं समय	नीलामी का स्थान
1	फसल- लीची: रहमानखेड़ा, ब्लाक-3	रू.10,000.00 (दस हजार मात्र)	22.05.2024 पूर्वान्ह 10.30 बजे	केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा परिसर, पोस्ट-काकोरी, लखनऊ – 226 101 (उ.प्र.)
2	फसल- आम: रहमानखेडा ब्लाक -2, 3 व 4	रू.1,00,000.00 (एक लाख मात्र)	22.05.2024 पूर्वान्ह 11.00 बजे	
3	फसल- आम: आर.बी.रोड कैम्पस	रू.25,000.00 (पच्चीस हजार मात्र)	24.05.2024 पूर्वान्ह 11.00 बजे	केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, आर.बी.रोड, लखनऊ – 226 002 (उ.प्र.)

<u>नीलामी प्रक्रिया की नियम एवं शर्तें :</u>

1	नीलामी की तिथि से पूर्व जिन फसलों/ पेड़ों की नीलामी होनी है उन का निरीक्षण बोलीकर्ता किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच फार्म प्रभारी एवं सुरक्षा प्रभारी की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त कर सकते है।
2	बोलीकर्ता को भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान,रहमानखेड़ा,लखनऊ की नीलाम होने वाले फसलों हेतु जमा किये जाने वाली ई.एम.डी. अलग-अलग रेखाकिंत बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक <u>"ICAR-UNIT, CISH, Lucknow"</u> के पक्ष मे देय होगा। ई0एम0डी0 की राशि नकद रूप में स्वीकार नही की जायेगी। ई.एम.डी. की राशि जमा किये बिना बोली की अनुमति <u>नहीं</u> होगी।
3	जिसके पक्ष में नीलामी होगी उस बोलीकर्ता को बोली का **एक तिहाई राशि (33%)** मौके पर तुरन्त नगद अथवा बैंक ट्रान्सफर के द्वारा जमा करना होगा व शेष भुगतान (67%) नीलामी की तिथि से एक सप्ताह के भीतर संस्थान में रेखांकित बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक अथवा बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से जमा करना होगा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आंशिक भुगतान स्वीकार नही किया जायेगा, ऐसा न करने की अवस्था में प्रति दिन पूरी राशि का 0.5% जुर्माना लगाया जायेगा।
4	सफल बोलीकर्ता, जिसके पक्ष में बोली छूटी है, किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानान्तरित नही करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो इस दशा में जमा की हुई पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे सबसे ऊँची बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को कार्य हस्तानान्तरित कर दिया जायेगा।
5	यदि उच्चतम बोलीकर्ता मौके पर आवश्यक धनराशि (बोली राशि का 33%) जमा करने मे विफल होता है तो इस दशा जमा की हुई EMD राशि जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे उच्चतम बोलीकर्ता को मौके पर ही बोली का 50% नकद जमा करना होगा। शेष राशि एक सप्ताह के अन्दर ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से जमा करना होगा। प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा यदि बोली राशि की 1/3 (33%) व ½ (50%) राशि मौके पर संस्थान कोष में नहीं जमा करायी जाती है तो उपर्युक्त फर्मो को अगले 18 महीनो के दौरान संस्थान में आयोजित की जाने वाली नीलामी प्रक्रिया से वंचित किया जायेगा तथा नीलामी के लिए जमा की ई.एम.डी. राशि को जब्त किया जायेगा।
6	प्रायोगिक सामग्री सफल बोलीकर्ता द्वारा चाहरदीवारी की बाड़ एवं संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुचायेगा। यदि संस्थान की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुचाई जाती है, तो इसकी भरपाई सफल बोलीकर्ता द्वारा की जायेगी एवं संस्थान में जमा की गयी धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

14.5.24

7	नीलाम की गई उपज को वापस या विनिमय नहीं किया जायेगा।
8	कोई भी कर या उपकर, यदि लगाया जाता है तो सफल बोलीदाता के द्वारा ही इसका भुगतान किया जाएगा।
9	नीलाम फसल की तुड़ाई का कार्य बोलीकर्ता द्वारा उसके श्रमिको के माध्यम से फार्म प्रभारी अथवा नामित अधिकारी/ समिति की देख-रेख में कार्य दिवसों एवं कार्यालय समय (09.00 पूर्व. 05.00 अप. के मध्य) में ही किया जायेगा। अवकाश के दिनों में फसल की तुड़ाई की अनुमति प्रभारी, सुरक्षा के संस्तुति उपरांत संस्थान के निदेशक के अनुमोदन से ही दिया जाएगा, जिसके लिए बोलीकर्ता को लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करनी होगी।
10	नीलामी की गई फसल के अलावा किसी अन्य फसल को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि उच्चतम बोली लगाने वाला या उसका कर्मचारी ऐसा करते पाया जाता है तो अनुबंध तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
11	नीलामी की अवधि में फलधारित वृक्षों में फल सुरक्षा (कीट/बीमारी आदि) की जिम्मेदारी बोलीकर्ता की होगी तथा सफल बोलीकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि नीलाम किये गए पेड़ों पर प्रतिबंधित दवाएं, कीटनाशक आदि का छिडकाव नहीं किया जायेगा एवं फल सुरक्षा हेतु ब्रांडेड एवं संस्तुत कीटनाशक, दवाईयों आदि का प्रयोग संस्थान के सक्षम प्राधिकारी/ फार्म प्रभारी के संज्ञान में लाए जाने के उपरान्त ही करेगा। इसके अतिरिक्त फलविहीन वृक्ष अथवा शोध कार्य हेतु आरक्षित फसल/वृक्षों पर पौध संरक्षण कार्य फार्म समिति की अनुसंशा संस्थान द्वारा किया जा सकता है जिसके लिए बोलीकर्ता संस्थान को बाध्य नहीं करेगा।
12	बोलीकर्ता को रोजमर्रा के होने वाले शोध कार्य, पौधा रोपड़, डाटा एकत्रित करना संबंधी कार्य, इत्यादि के लिए रोक नहीं लगाएगा एवं इसके लिए कोई आपत्ति नही करेगा।
13	नीलामी की अवधि के दौरान नीलाम हुये पेड़ो की फसल में सिंचाई करवायी जाये यह आवश्यक नहीं है।
14	किसी भी दशा में बाग में खाना पकाने आदि के लिए जलाऊ लकड़ी का प्रयोग नहीं होना चाहिए तथा परिसर के भीतर शराब या मादक पदार्थ/ प्रबंधित पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। यदि बोलीकर्ता या उसका कोई कर्मचारी ऐसा करते पाया जाता है तो ठेकेदार को नीलामी समिति एवं सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।
15	संस्थान द्वारा कुछ बाग/ पेड़ों को शोध कार्य हेतु आरक्षित किए गए है, तथा इस नीलामी नोटिस में उसको अंकित नहीं किया गया। अतः बोलिकर्ता आरक्षित प्लॉट में फसलों की तुड़ाई नहीं कराएगा। अपरिहार्य कारणवश द्वारा यदि संस्थान के वैज्ञानिको को सीमित फसलों की आवश्यकता पड़ेगी तो मांग के अनुसार बोलिकर्ता को इन फसलों को प्रभारी फार्म की संस्तुति उपरांत इसे निःशुल्क प्रदान करना होगा।
16	ठेकेदार को उन सभी व्यक्तियों के नाम की सूचना पूरे पते के साथ तथा पहचान पत्र की प्रतिलिपि फार्म अनुभाग को देनी होगी जो बाग में निगरानी या किसी अन्य उद्देश्य से प्रवेश कर रहे हों।
17	यदि बोलीकर्ता उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन करता है तो जमा की गई जमानत राशि जब्त करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के पास सुरक्षित रहेगा।
18	बोलीकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस कार्य के लिए किसी भी बाल श्रमिक को नहीं लगाया जायेगा, एवं इसका उल्लंघन का दोषी पाने की स्थिति में उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
19	हमारा संस्थान RTI Act, 2005 के अन्तर्गत आता है, अतः हमारा संस्थान आपके द्वारा दी गयी सभी जानकारी इस RTI Act, 2005 के अन्तर्गत किसी को भी बताने के लिए बाध्य है।
20	निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के पास उच्च बोली स्वीकार करने की राशि को तथा बोली को पूरा या आंशिक या उसके एक भाग को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
21	जिसके पक्ष में नीलामी होगी ऐसे बोलीकर्ता को बोली लगाने की तिथि से सात दिनों के भीतर रू.100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
22	कोविड-19 के संबंध में सक्षम प्राधिकारी और/या गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई एडवाइजरी का ठेकेदार/उसके व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जा सकता है।
23	जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी उसे छोड़कर अन्य सभी बोलीकर्ताओं की ई0एम0डी0 की राशि का बैक ड्राफ्ट नीलामी स्थल पर ही नीलामी समाप्त होने के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।
24	उपरोक्त नियम व शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में समस्त बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा इस प्रयोजन के लिए जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा किसी भी परिस्थिति में अनुबंध को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
25	उपरोक्त फसलो हेतु संस्थान की समिति द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम रिज़र्व मूल्य से कम पर बोलीकर्ता को नीलामी

	देय नहीं होंगी।
26.	यदि बोलीकर्ताओ द्वारा लगायी गयी बोली, समिति द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम रिज़र्व मूल्य से कम पर छुटती है तो इस दशा में बोलीकर्ताओ को पुनः बोली लगाने का मौका दिया जायेगा जिससे कि अधिकतम बोली राशि, न्यूनतम रिज़र्व मूल्य तक पहुँच सके। इसके बावजूद यदि अन्तिम बोली न्यूनतम रिज़र्व प्राईस से कम रहती है तो इस दशा में संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।
27.	इस सार्वजनिक नीलामी से सम्बन्धित अन्य जानकारी नियम व शर्तो के साथ संस्थान की बेबसाइट https://cish.icar.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। यदि नीलामी संबंधी तिथि या प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो इसकी सूचना संस्थान के वेबसाइट पर डाली जाएगी।
28.	नीलामी संबंधी किसी भी जानकारी के लिए संस्थान के ईमेल: cish@icar.gov.in कर सकते है अथवा डॉ एच.एस.सिंह, प्रभारी फार्म (रहमानखेड़ा), मोबाइल संख्या +919437635736 एवं डॉ.एस.के.शुक्ला, प्रभारी फार्म (आर.बी.रोड), मोबाइल संख्या +919935773304 को उनके पर कार्यालय समय पर संपर्क कर प्राप्त कर सकतें है।
29.	इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की दशा में निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ का निर्णय अन्तिम होगा, जो सभी के लिये मान्य होगा।
30.	बोलीकर्ता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को बोली की प्रक्रिया के दौरान परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीकर्ता को अपने वाहन संस्थान के गेट के बाहर खड़े करने होंगे एवं वाहनों की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।
31.	संस्थान परिसर में किसी व्यक्ति को लाईसेंसी अथवा गैर लाईसेंसी हथियार लाने की अनुमति नहीं है।
32.	अन्य नियम व शर्तों की घोषणा मौके पर ही की जाएगी।

14.5.2024

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. संस्थान के सभी प्रभागाअध्यक्ष

2.अध्यक्ष, फार्म प्रबंधन समिति एवं फार्म प्रभारी(रहमानखेड़ा/आर.बी.रोड)/ उद्यान अधीक्षक

3. फल मंडी प्रभारी,मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड, लखनऊ/ प्रभारी मंडी,दुबग्गा, लखनऊ

4.वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी

5.प्रभारी, सुरक्षा

6.आहरण एवं संवितरण अधिकारी

7.प्रभारी, एकेएमयू इस सूचना को संस्थान की बेबसाइट पर कॉलम 'Tender' पर अपलोड कराये।

8.निदेशक के निजी सचिव